संख्या:-27/2019/2595/अड़तीस-7-2019-79नरेगा/2019

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक: 24 अक्टूबर, 2019

विषयः- मनरेगा योजनान्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को सुविधादाता(Facilitator) नामित किए जाने के संबध में।

महोदय,

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गरीब परिवारों के सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना-2011 के आधार पर चयनित महिलाओं को सक्षम और प्रभावशील मंच प्रदान कर, आजीविका निधियों के माध्यम से उनको आर्थिक समृद्धि प्रदान कर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से समर्थ बनाया जाता है। इसी प्रकार मनरेगा योजनान्तर्गत महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सहभागिता बढ़ाये जाने हेतु विशिष्ट प्राविधान किए गए हैं, जिसके क्रम में आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के पत्र संख्या-2110, दिनांक 14.10.2019 के द्वारा निर्देश निर्गत किये गए है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि महिलाओं हेतु पृथक से कार्यस्थल न होने के कारण महिलाओं द्वारा मनरेगा योजना के कार्यो में रूचि नहीं ली जाती है।

2- ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, आजीविका एवं आय में वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को मनरेगा योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यो हेतु सुविधादाता(Facilitator) नामित कर दिया जाये। स्वयं सहायता समूह को सुविधादाता(Facilitator) नामित करने से ग्राम पंचायत की अन्य महिला श्रमिक भी स्वयं सहायता समूह को अपनी कार्य की मांग प्रस्तुत कर सकेंगी वहीं दूसरी तरफ महिला श्रमिकों की निर्भरता ग्राम पंचायत के कार्मिकों पर कम रहेगी तथा महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी। इस संबध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मास्टर सर्कुलर 2019-20 के पैरा-4.3.2 के अनुसार श्रमिकों की मांग के संबध में निम्न प्राविधान किया गया है-

"The multiple channels to receive applications for work should necessarily include Programme Officer (PO), Gram Rozgar Sahayak, Panchayat Secretary/other officials in the Gram Panchayat, Sarpanch, Ward members, Anganwadi workers, Mates, Self Help Groups (SHGs)/ Village Organizations, village level revenue functionaries, Common Service Centres, Producers' Groups under Deendayal Antyodaya Yojna – National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) and Mahatma Gandhi NREGA Labour Groups."

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त के अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मास्टर सर्कुलर 2019-20 के पैरा-7.1.1 के अनुसार कार्यदायी संस्था के चयन हेतु निम्न प्राविधान किया गया है-

"For enhanced participation of women in Mahatma Gandhi NREGA implementation, efforts should be made to progressively engage Federations of Women Self-help Groups as Project Implementing Agencies (PIA) at the Gram Panchayat/ Block/ District level. "

3- भारत सरकार के उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में योजनान्तर्गत महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों को निम्न शर्तों के अधीन मनरेगा योजनान्तर्गत कार्य कराने हेतु सुविधादाता(Facilitator) के रूप में नामित किया जाता है:-

1. **स्वयं सहायता समूहों को सुविधादाता(Facilitator) नामित करने की प्रक्रिया-**
   - (a) उपायुक्त, श्रम रोजगार एवं स्वतः रोजगार द्वारा विकास खण्ड में निम्न श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले समूहों का चयन सुविधादाता(Facilitator) के रूप में किया जायेगा-
     1. ऐसे स्वयं सहायता समूह जिनका BANK से LINKAGE करते हुए LOAN दे दिया गया हो,
     2. ऐसे स्वयं सहायता समूह जिन्हें Cash Credit Limit (CCL)/ Community Investment Fund (CIF) दे दी गयी हो,
     3. ऐसे स्वयं सहायता समूह जिन्हें Revolving Fund प्रदान किया गया हो।

उक्त शर्तों को पूरा करने वाले सुविधादाता(Facilitator) स्वयं सहायता समूहो का विवरण जनपद स्तर पर, कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त करते हुए चयन की कार्यवाही की जाएगी। इसके उपरान्त चयनित समूहों का विवरण संबधित कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा, जिसके क्रम में कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किए जायेगें:-

- (a) चयनित सुविधादाता(Facilitator) स्वयं सहायता समूह द्वारा अपनी ग्राम पंचायत में मनरेगा योजनान्तर्गत कार्य किया जायेगा, तदनुसार कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा चयनित सुविधादाता(Facilitator) स्वयं सहायता समूह की सूचना संबधित ग्राम पंचायत को प्रेषित की जायेगी,
- (b) चयनित सुविधादाता(Facilitator) स्वयं सहायता समूह द्वारा चिन्हित परियोजनाओं के सापेक्ष तकनीकी सहायक के माध्यम से प्राक्कलन का निर्माण (Secure के द्वारा), तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की कार्यवाही 10 दिन में सम्पन्न की जायेगी,
- (c) स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष अनिवार्य रूप से 15 दिन के भीतर मस्टर-रोल निर्गत करने की कार्यवाही की जायेगी।

2. **सुविधादाता(Facilitator) स्वयं सहायता समूहो द्वारा कराये जाने वाले कार्य-सुविधादाता** (Facilitator) **स्वयं सहायता समूहो द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत निम्न कार्य संपादित किये जायेंगे-**
   - (a) योजनान्तर्गत परियोजनाओं का चिन्हांकन एवं उनको योजना के श्रम-बजट तथा GPDP में सम्मिलित कराना,
   - (b) महिला श्रमिकों का चिन्हांकन कर महिला श्रम समूहों का गठन करना,
   - (c) योजनान्तर्गत कार्यरत श्रमिकों के जॉब कार्ड Verification करना,
   - (d) ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य की मांग संकलित कर, कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी को कार्य आवंटन हेतु सूचित कराना
   - (e) कार्यक्रम अधिकारी से मस्टर रोल को प्राप्त करना,

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(f) कार्यस्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति मस्टर रोल पर Mobile Monitoring System (MMS) के माध्यम से दर्ज करना,

(g) भरे गये मस्टर-रोल को विकास खण्ड पर उपलब्ध कराना,

(h) कुशल श्रमिकों की व्यवस्था कार्य स्थल पर करना,

(i) जिन कार्यो पर सामग्री अंश की आवश्यकता है, उनके लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से सामग्री की मांग कार्यक्रम अधिकारी से करना,

(j) योजनान्तर्गत श्रम-बजट निर्धारण हेतु ग्राम सभा की बैठकों में SHG समूह की महिलाओं की सहभागिता,

(k) योजना का प्रचार-प्रसार।

3. **कार्यक्रम अधिकारी का दायित्व-**

(a) चिन्हित परियोजनाओं की तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना,

(b) प्राक्कलन का निर्माण, Secure के द्वारा तकनीकी सहायक से कराना,

(c) स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रस्तुत की गयी मांग के सापेक्ष मस्टर रोल निर्गत कराना

(d) कार्य के सापेक्ष आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना,

(e) कार्य की एम0बी0 तकनीकी सहायको के माध्यम से कराना,

(f) तकनीकी मानक सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप तकनीकी अधिकारियों से स्थलीय सत्यापन कराना,

(g) मस्टर रोल प्राप्त होने के पश्चात श्रमिको के बैंक खातों में भुगतान सुनिश्चित करना

(h) अन्य तकनीकी व वित्तीय प्रकरणों में आवश्यक सहयोग, प्रशिक्षण व जानकारी उपलब्ध कराना।

(i) चयनित सुविधादाता(Facilitator) स्वयं सहायता समूहों द्वारा चयनित परियोजनाओं के सापेक्ष श्रम-सामग्री का भुगतान प्राथमिकता पर कराना

4- उपरोक्त के साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यक्तिगत लाभार्थियों का चयन कर लाभार्थीपरक कार्यो को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के Shelf of Project में सम्मिलित कराने की कार्यवाही सुविधादाता(Facilitator) स्वयं सहायता समूहो द्वारा की जायेगी तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित किए जाने वाले श्रम-बजट का 30 प्रतिशत(मानव दिवस, कार्यो का चिन्हांकन) सुविधादाता(Facilitator) स्वयं सहायता समूहो द्वारा किया जाएगा।

5- उपर्युक्त के अनुक्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि सुविधादाता(Facilitator) स्वयं सहायता समूह का चयन महिलाओं की सहभागिता एवं योजना का अधिकाधिक लाभ महिला लाभार्थियों को देने हेतु किया गया है। अतः सुविधादाता(Facilitator) स्वयं सहायता समूह को किसी भी तरह का भुगतान मनरेगा योजनान्तर्गत नही किया जायेगा। अतः अपेक्षित है कि महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को मनरेगा योजनान्तर्गत सुविधादाता(Facilitator) नामित करने के संबध में उक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-27/2019/2595(1)/अडतीस-7-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
2. मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0।
3. अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र।
6. समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार/स्वतः रोजगार, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।